में अपने-अपने विद्युत् क्षेत्रों के विभिन्न राज्यों को लाभ पहुंचाएंगे तथा अपने-अपने क्षेत्रों में विद्युत् संसाधनों का इष्टतम समुपयोजन करेंगे । इस नीति के अनुसार इस समय पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बिलासपुर जिले में कोरबा सुपर ताप विद्युत् केन्द्र का विस्तार करने के लिए केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम से जो कि सरकारी क्षेत्र की एक यूटीलिटी है, एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम ने छिन्दवाड़ा जिले में पेंच घाटी क्षेत्र में एक नए ताप विद्युत् केन्द्र के लिए अपेक्षित अन्वेषण करके व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया है ।

(ख) कोरबा विस्तार स्कीम की प्रतिष्ठापित क्षमता 1000 मेगावाट करने की योजना है अर्थात् 500-500 मेगावाट के दो यूनिट तथा पेंच घाटी क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना की प्रतिष्ठापित क्षमता प्रारम्भ में 630 मेगावाट की योजना है ।

(ग) कोरबा विस्तार परियोजना की स्वीकृति के लिए कार्रवाई केन्द्रीय सरकार में आरम्भ हो चुकी है । पेंच घाटी परियोजना पर विचार इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त होने पर किया जा सकेगा ।

(घ) कोरबा विस्तार परियोजना के दो यूनिटों की व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार इन यूनिटों को क्रमश: वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 में चालू करने की योजना है । पेंच घाटी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले विद्युत् केन्द्र को चालू करने की समय-सूची व्यवहार्यता अध्ययन पूरे होने के पश्चात् ही बनाई जा सकेगी ।

(ङ) कोरबा विस्तार परियोजना पर 407.81 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । दूसरी परियोजना पर होने वाला संभावित व्यय अभी निश्चित नहीं हुआ है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से निम्नलिखित ताप विद्युत् परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्टें भी प्राप्त हुई हैं ।

(1) गोरसिंगपुर ताप विद्युत् केन्द्र (2×210 मेगावाट) ।

(2) विध्याचल (सिंगरौली) (2×500 मेगावाट) ।

(3) पेंच ताप विद्युत केन्द्र (2×210 मेगावाट) ।

इनमें से गोरसिंगपुर ताप विद्युत् केन्द्र को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने 27-5-1980 को दे दी है । इस परियोजना की दो यूनिटों को क्रमश: 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है और इसकी कुल अनुमानित लागत 232.43 करोड़ रुपये है ।

अन्य दो स्कीमों की तकनीकी-आर्थिक जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

सरणी में सुपर तापीय बिजली केन्द्र

3409. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरणी, मध्य प्रदेश में गत वर्ष एक 400 मेगावाट क्षमता के एक सुपर तापीय बिजली केन्द्र का उद्घाटन किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त एकक में अभी तक बिजली का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार ने इस बारे में एक उच्च स्तरीय जांच कराने का निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सतपुड़ा (सरणी) ताप विद्युत् केन्द्र में 210 मेगावाट का एक यूनिट पिछले वर्ष चालू किया गया था और इसका उद्घाटन जुलाई, 1979 में किया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश को मध्यम और बड़ी सिंचाई योजनाएं

3410. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ऐसे जिलों की संख्या कितनी है जहां की मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) ऐसे जिलों और योजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) इनका अनुमोदन कब तक दिये जाने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख). इस समय ऐसी 4 बृहद और 2 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं, जिनसे मध्य प्रदेश के 8 जिलों को लाभ पहुंचेगा । एक विवरण संलग्न है, जिसमें इन स्कीमों और

लाभान्वित होने वाले जिलों के नाम दिये गये हैं। इसके अलावा, 20 जिलों को लाभ पहुंचाने वाली 11 बृहद और 3 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर के लिए राज्य सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं। 4 जिलों को लाभ पहुंचाने वाली अन्य 3 बृहद और 2 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भी अन्तरराज्यिक पहलुओं की दृष्टि से अन्य राज्यों की सहमति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं।

(ग) तीन स्कीमें नामशः कोलार, हलाली तथा बुढ़ाना नाला स्कीमें योजना आयोग को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई है। योजना आयोग का अनुमोदन अभी जारी किया जाना है। 3 अन्य परियोजनाओं के बारे में, तकनीकी सलाहकार समिति की टिप्पणियों पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

मध्य प्रदेश की मध्यम और बृहद् सिंचाई स्कीमें

विचाराधीन स्कीमों और उनसे लाभान्वित होने वाले जिलो के नाम

क्रम सं॰	स्कीम का नाम	लाभान्वित होने वाले जिले
1.	कोलार परियोजना (बृहद)	सीहोर
2.	हलाली (बृहद)	विदिशा और रायसेन
3.	बुढाना नाला (मध्यम)	शिवपुरी
4.	माही परियोजना (बृहद)	झाबुआ और धार।
5.	लखुदरबांध परियोजना (मध्यम)	शाजापुर।
6.	कोसरटोडा ताल परियोजना (बृहद)	बस्तर

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मध्यम सिंचाई योजना

3411. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विदिशा जिले की बाह तथा सागर नामक दो मध्यम सिंचाई योजनायें गत दो वर्षों से केन्द्र सरकार के विचाराधीन पड़ी हुई हैं;

(ख) उनको कब तक मंजूरी दे दिए जाने की आशा है; और,

(ग) इन दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है और उनके पूरा होने में संभवतः कितने वर्ष लगेंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख). प्रश्न का सम्बन्ध संभवतः मध्य प्रदेश के विदिशा जिलों की बाह और सागर मध्यम सिंचाई परियोजना से है। योजना आयोग द्वारा इन परियोजनाओं को मई, 1980 में मंजूरी दी गई थी।

(ग) बाह परियोजना पर 13.98 करोड़ रुपये और सागर परियोजना पर 10.63 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्टों में बाह परियोजना के 7 वर्षों और सागर परियोजना के 5 वर्षों की अवधि में पूरा होने की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम

3412. **श्री भीखा भाई** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979–80 के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम के कितने कर्मचारियों ने गृह निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन भेजे थे और उनमें से कितने कर्मचारियों को अब तक ऋण मिल चुका है;

(ख) शेष कर्मचारियों को कब तक ऋण मिलने की संभावना है और अब तक उन्हें ऋण न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए गत वर्ष कितनी धनराशि का प्रावधान था और चालू वर्ष के लिए कितना प्रावधान किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1979–80 के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम के नौ (9) कर्मचारियों ने गृह निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन किया था और इनमें से सात (7) कर्मचारियों को ऋण स्वीकृत किया गया था, इनमें से छः (6) को, नियमों के अनुसार देय किस्तों के आधार पर भिन्न-भिन्न राशियां वितरित की जा चुकी हैं।

(ख) 1979–80 के दौरान, बदरपुर ताप विद्युत् केन्द्र और परियोजना के लिए गृह निर्माण अग्रिम हेतु किसी निधि का आवंटन नहीं किया गया था। अतः बदरपुर केन्द्र में कार्यरत दो कर्मचारियों को अग्रिम स्वीकृत करना, राष्ट्रीय ताप विद्युत्